

फर्द अहकाम  
नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भा

विनोद कुमार वनाग

किस मुकदमा :- 136 एल आर एएट मु नंबर :- 11/24

तारीख हुआ

हुआ या कार्यवाही का कभीशुदात कात

नया व नकल फर्द अहकाम की कृत कात नकल कात हुआ

04.03.2024

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया। प्रकरण पर सिरोदार की रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्पन/नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार भादरा को जांच रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हो।




26/3/24

पत्रावली देर डेरी वीज प्रार्थी उचरिखर। तहसीलदार  
भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली  
आने 1 सप्ती। पत्रावली दिनांक 11/3/24 से पत्र  
आने की वार्ता उचरिखर अन्तर्गत  
उचरिखर



11/3/24

पत्रावली देर डेरी वीज प्रार्थी उचरिखर।  
पत्रावली में मुसलिक रिपोर्ट वीज प्रार्थी  
ने अचरिखर हेतु निर्देश किया पत्रावली पर  
वीज प्रार्थी से मुसल अचरिखर  
आने अचरिखर दिनांक 16/3/24 से देर डेरी



16/5/24

पत्रावली देर डेरी वीज प्रार्थी उचरिखर।  
पत्रावली पर अचरिखर आता 136 एल आर ए  
से तहसीलदार आता से रिपोर्ट से  
अवलोकन किया प्रार्थी निर्देश हुआ उन  
देशीय के अचरिखर आने के मात-मात पातात  
के रिपोर्ट के नाम में हेतु अचरिखर हेतु निर्देश  
पत्र देर देर किया व पत्रावली में देर देर अचरिखर




अबलोकन डिप गणना पत्रावली में शर्तीयात अपने नाम के अलावा जगवंशी में दर्ज पालाराम पुत्र जुग्गा व शैलीमिंद पुत्र जुग्गा के नाम में उनके पिता के नाम का संशोधन वादा गणना ही शर्ती के अनुसार पालाराम व शैलीमिंद के पिता का नाम जुग्गा नहीं होकर पूर्व मिंद नाम ही पत्रावली में प्रचुर दस्तावेजों में प्रदत्त है कि शैलीमिंद व पालाराम जी मूल्य पूर्व में ही चुकी थी वर्तमान में पत्रावली में शैलीमिंद व पालाराम के जोड़ भी वारिसान बहोर पत्रावली अप्रतिष्ठ नहीं है शर्ती के मुताबिक पालाराम व शैलीमिंद के जोड़ भी वारिसान नहीं है — — — —

अपरोक्ष विवेचानुसार शर्ती द्वारा प्रचुर शर्तीयात अनर्गह धारा 136 LRA के मुताबिक अनुसूच भाग व प्रमाणिक रूपों के अभाव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन शर्तीयात विनोद कुमार पुत्र दोहराम जी दर हक शर्तीयात का आंशिक स्वीकार किया जाता है — — — —

अतः शर्तीयात का अनर्गह धारा 136 LRA के आंशिक स्वीकार किया जाकर रक्षणीयता के द्वारा जो आदेशित किया ~~जाता~~ जाता है कि वे शैली मौजा डाली के खतों में 155/148, 140/40 में दर्ज विनोद पुत्र दोहराम के खतों पर शर्ती का ही नाम विनोद कुमार पुत्र दोहराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिहाई अनुसार उसे पत्रावली नंबर से कम ही जाकर दारिद्र्य दस्ता है।

  
16/05/24